संख्या-सा-3-2102/दस-971/80

प्रेषक,

श्री वी0 वेंकटाचलम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊ: दिनांक: 6 दिसम्बर, 1994

विषय:- मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति (डेथ- कम- रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) के विलम्ब से अदायगी किए जाने पर देय ब्याज की दर में वृद्धि।

======

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु-एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने की अवधि के विलम्ब पर 7% एवं एक वर्ष की अवधि के विलम्ब पर 10% वार्षिक ब्याज दिए जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-सा-3-1776/दस-971/80 दिनांक 30-11-1984 में की गई थी। अब शासन द्वारा इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि भुगतान किए जाने पर उसी दर पर ब्याज अनुमन्य होगा जैसा कि सामान्य भविष्य निधि की संहत जमा धनराशि पर (वर्तमान में 12% प्रतिवर्ष है) समय-समय पर अनुमन्य होता है। संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उक्त ब्याज का भुगतान उसके आश्रितों को किया जाएगा।

2- उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे। किन्तु मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान के जिन प्रकरणों में अब तक भुगतान नहीं किया गया है और विलम्ब की स्थिति

-----2/

प्रमाणित हो जाती है, तो उन प्रकरणों में भी उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित दर पर ब्याज/भुगतान किया जाएगा।

3- इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी की जानी हो उनमें विलम्ब के लिए जिम्मेदारी नियत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्य लागू शर्तें पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 29-4-1983, 12-9-1983एवंदिनांक 30-11-1984 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(श्री वेंकटाचलम)
वित्त सचिव।

संख्या-सा-3- 1[illegible]/दस-97[illegible]/80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम / द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- राज्यपाल, सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, सचिवालय।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(गणेश दत्त दीक्षित)
विशेष सचिव।